न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैंपऊ जिला धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— ललित मीना (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 51/2018

1—द्वारिका प्रसाद पुत्र प्रभू जाति प्रजापति निवासी ग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

1—रामवती पत्नी रघुवीर 2—विष्णु 3—कमलकिशोर पुत्रगण रघुवीर 4—सोनू 5—कल्पना पुत्रीयान रघुवीर जातिगण राय निवासीगण ग्राम सरेखी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 6—बन्सू पुत्र धर्मेन्द्र (पति रनिया) नाबालिग सरपरस्ती पिता स्वयं जाति राय निवासी नयागांव जिला भिण्ड म0प्र0 7—वेदवती पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ

8—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर राज0 .....प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राजात, हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थिति :— 1—श्री विष्णु कुमार अधिवक्ता— वादी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ ★ जिला—धौलपुर ★

निर्णय

दिनांकः—13.04.2022

वादी की ओर से वादपत्र न्यायालय में इन तथ्यो के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा वाकेग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ में 1/2 भाग का वादी खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी ही इस दावे में विवादित है उक्त विवादित आराजी के भोश 1/2 भाग की खातेदार काश्तकार प्रतिवादिया संख्या 7 वेदवती है, विवादित आराजी को वादी एवं प्रतिवादिया संख्या 7 संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं। विवादित उक्त आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा के साथ अन्य विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 671 रकवा 12 विस्वा, 672 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा वाकेग्राम मढ़ा तहसील सैपऊ है। चूंकि पूर्व में राजस्व ग्राम मढ़ा ही था, अब नया राजस्व ग्राम मल्हैला बनने से उक्त आराजी ग्राम मल्हैला में आ गई है, के विद्याराम पुत्र झण्डू जाति राय निवासी सरेखी(मढ) तहसील सैपऊ तन्हा खातेदार काश्तकार थे। विद्याराम का स्वर्गवास हो चुका है। विद्याराम के स्वर्गवासी हो जाने के बाद उनके विधिक वारिसान में पुत्र रघुवीर एवं सावित्री, भगवानदेई, विरमावती, रामबाई पुत्रीयान स्व0 विद्याराम तथा दूसरे मृतक पुत्र ओमप्रकाश के वारिसान में पत्नी निर्मला पुत्रों में पवन,

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

बृजमोहन तथा पुत्रियों में सरिता व पूजा के नाम विरासत से उक्त सम्पूर्ण आराजी आयी। विद्याराम की चारों लडकियों ने अपने 4/6 हिस्से की रिलीजडीड अपने खास भाई रघुवीर के हक में आधे हिस्से की व शेष आधे हिस्से की रिलीजडीड मृतक भाई ओमप्रकाश के लड़के पवन व बृजमोहन के हक में कर दी। ओमप्रकाश लड़की सरिता ने भी अपने हिस्से की रिलीज पवन व बृजमोहन के हक में कर दी। इस प्रकार ओमप्रकाश के वारिसान निर्मला, पवन, बृजमोहन, पूजा कुल 1/2 हिस्से की खातेदार का तकार हुयीं। ओमप्रकाश के वारिसान निर्मलादेवी, पवन, बृजमोहन व पूजा विवादित आराजी में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हुये। जिन्होंने विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा वाकेग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ में अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्से को मुवलिग 70,000/—रूपये में जरिये बयनामा वहक वादी द्वारिका प्रसाद को विक्रय कर दिया तथा मौके पर कब्जा करा दिया। जिसके आधार पर दाखिल खारिज संख्या 113 वाकेग्राम मल्हैला वहक वादी तस्दीक हुआ। विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा वाकेग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ में से रघुवीर पुत्र विद्याराम ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग का बयनामा दिनांक 31.05.2005 को द्वारिका प्रसाद के हक में मुवलिग 90,000/—रूपये में कर दिया परन्तु सहवन से गलत हिस्सा बयनामा में 5/6 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि वास्तव में 5/6 हिस्सा रघुवीर का विवादित आराजी में था ही नहीं । उसका केवल 1/2 हिस्सा ही था और 1/2 हिस्से का ही बयनामा हो सकता है और हुआ भी है। उक्त गलत बयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज संख्या 31 ग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ दिनांक 03.06.2005 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा 5/6 हिस्से का तस्दीक कर दिया। इस इन्तकाल के आधार पर जमाबन्दी में भी द्वारिका के नाम 5/6 हिस्से का इन्द्राज गलत रूप से हो गया जो काबिल दुरूस्ती के है और द्वारिका प्रसाद को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे। रघुवीर पुत्र विद्याराम द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा वाकेग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ में से अपने 1/2 हिस्से का (वास्तविक हिस्से का) जबकि गलत हिस्सा 5/6 अंकित हो गया था। का बयनामा अपने जीवनकाल में ही द्वारिका प्रसाद के हक में दिनांक 31.05.2005 को कर दिया था तो विवादित आराजी में रघुवीर का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा और रघुवीर की मृत्यु के उपरान्त उक्त विवादित आराजी में उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के हक में विरासत का दाखिल खारिज संख्या 166 ग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ दिनांक 14.02.2013 को तहसीलदार सैपऊ द्वारा तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य दाखिल खारिज था और उक्त दाखिल खारिज संख्या 166 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में रघुवीर के वारिसान के नाम विरासत से आये है वो अवैध व गलत है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा वादी द्वारिका प्रसाद अपने उक्त 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा वाकेग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ में वादी द्वारिका प्रसाद को 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश के वारिसान के द्वारा किये गये बयनामा से आया तथा शेष 1/2 हिस्सा रघुवीर के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

के 1/2 हिस्से के बयनामा से (जो गलत रूप से 5/6 बयनामा में लिखा हुआ है) आया। इस प्रकार उक्त आराजी का तन्हा द्वारिका प्रसाद खातेदार का तकार हुआ। वादी द्वारिका प्रसाद ने उक्त विवादित आराजी में से अपने सम्पूर्ण हिस्से में से केवल 1/2 हिस्से का बयनामा प्रतिवादीया संख्या 7 के हक कर दिया तथा मौके पर 1/2 हिस्से पर कब्जा वेदवती का करा दिया। इस प्रकार विवादित आराजी में वादी भोश 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादिया संख्या 7 वेदवती 1/2 हिस्से की संयुक्त रूप से खातेदार का तकार हुये तथा मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। रघुवीर की पुत्री रनिया का स्वर्गवास अर्सा करीब 1–1/2 साल पूर्व हो चुका है उसके वारिसान में नावालिग पुत्र बन्सू उम्र 5 साल जरिये सरपरस्त पिता धर्मेन्द्र (रनिया) है जो प्रतिवादी संख्या 6 बनाया गया है। उसके विरूद्ध भी वादी अपने हकूकों की घोशणा कराने व राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम इन्द्राज कराने का अधिकारी है। अर्सा करीब 1 माह पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने वादी को धमकी दी कि विवादित आराजी में हमारे नाम इन्द्राजात हो रहे है इसलिये अब आराजी विवादित से वादी बेदखल कर देंगे तथा वे अपना कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादीगण की इस धमकी के बाद वादी ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करवाया और कानूनी सलाह ली। तब वादी को राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राजात की गलत रूप से हुये बयनामा, दाखिल खारिज की, विरासतन हुये गलत दाखिल खारिज की जानकारी हुई। राजस्व रिकॉर्ड के गलत इन्द्राजों की वादी निरस्त व अवैध घोषित कराकर अपने को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कराने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

अन्त में निवेदन किया कि वादी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा वाकेग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ में 1/2 हिस्से का खातेदार का तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात किये जावे। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम हुये विरासतन दाखिल खारिज संख्या 166 तथा उसके आधार पर हुये रिकॉर्ड में इन्द्राजात की निरस्त किया जावे और वादी का नाम अंकित किया जावे। अन्य अनुतोश वहक वादी जो भी हो वह भी अता फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को विवादित आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत वेजा ना करें व कब्जे काश्त में रूकावट नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में बयनामा विक्रेता रघुवीर द्वारा वहक द्वारिका प्रसाद के पक्ष में प्रदर्श–1, बयनामा विक्रेता निर्मला बगैरा द्वारा वहक द्वारिका प्रसाद के पक्ष में प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी वाकेग्राम मल्हैला खाता संख्या 37 सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी आधार वर्ष 2005 खाता संख्या 79 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

सम्वत् 2063–2066 खाता संख्या 83 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 खाता संख्या 84 प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 खाता संख्या 76 प्रदर्श–7, नामान्तकरण संख्या 31 वाकेग्राम मल्हैला प्रदर्श–8, नामान्तकरण संख्या 165 वाकेग्राम मढ़ा प्रदर्श–9 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0–1 द्वारिका प्रसाद, पी0डब्ल्यू0–2 रामजीलाल, पी0डब्ल्यू0–3 जगदीश प्रसाद, पी0डब्ल्यू0–4 रघुवीर के बयान दर्ज कराये हैं ।

विद्वान अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि वादी द्वारिका प्रसाद पुत्र प्रभू का प्रदर्श–1 अनुसार जरिये रजिस्टर्ड बयनामा रघुवीर पुत्र प्रभू का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय कर लिया एवं प्रदर्श–2 अनुसार ओमप्रकाश के वारिसान निर्मला, पवन, बृजमोहन व पूजा से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा द्वारिका द्वारा क्रय किया गया। इस प्रकार वादी द्वारा विवादित आराजी खसरा 340 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा वाकेग्राम मल्हैला के सम्पूर्ण भाग को क्रय कर लिया गया। प्रदर्श–1 में रघुवीर पुत्र विद्याराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 01 बीघा 17 विस्वा में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान किया है जबकि सहवन से 5/6 हिस्सा बयनामा में लिखा गया है। जिसका नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 03.06.2005 प्रदर्श–8 में वादी/क्रेता का 5/6 भाग एवं शेष 1/6 भाग विक्रेता के नाम इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया गया है। रघुवीर के देहान्त उपरान्त शेष 1/6 भाग रघुवीर का मानते हुये विरासत नामान्तकरण दर्ज कर वारिसों का हिस्सा 1/2 इन्द्राज कर दिया। वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 340 रकवा 01 बीघा 17 विस्वा में से 1/2 भाग बेदमती प्रतिवादिया संख्या–7 के हक में कर दिया गया जिसका अंकन प्रदर्श–3 में है। जिस पर प्रतिवादिया संख्या–7 काबिज काश्त है। इस प्रकार वादी के 1/2 भाग की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् प्रदर्श–1 लगायत 9 से होती है। तथा बिना किसी अधिकार के विवादित आराजी से वादी का नाम विलोपित कर विक्रेता के वारिसों का नाम इन्द्राज किया गया है। वादी अपने वाद को सिद्व करने में पूर्णतः सफल रहा है। ऐसी स्थिति मे हम दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 01 बीघा 17 विस्वा वाकेग्राम मल्हैला पटवार हल्का कांकोली तहसील सैपऊ के 1/2 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नामान्तकरण संख्या 166 द्वारा रघुवीर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/6 के नाम विवादित आराजी के 1/2 भाग पर हो रहे इन्द्राज को कलमजद कर उनके स्थान पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ललित मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ललित मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

जज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
व इजलास –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या :– 51/2018

द्वारिका प्रसाद पुत्र प्रभू जाति प्रजापति निवासी ग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर .....वादी

बनाम

1–रामवती पत्नी रघुवीर 2–विष्णु 3–कमलकिशोर पुत्रगण रघुवीर 4–सोनू 5–कल्पना पुत्रीयान रघुवीर जातिगण राय निवासीगण ग्राम सरेखी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 6–बन्सू पुत्र धर्मेन्द्र (पति रनिया) नावालिग सरपरस्ती पिता स्वयं जाति राय निवासी नयागांव जिला भिण्ड म0प्र0 7–वेदवती पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर राज0
.....प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राजात, हुक्म इम्तनाई दवामी

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री विष्णु कुमार एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री ....एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकवा 01 बीघा 17 विस्वा वाकेग्राम मल्हैला पटवार हल्का कांकोली तहसील सैपऊ के 1/2 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नामान्तकरण संख्या 166 द्वारा रघुवीर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम विवादित आराजी के 1/2 भाग पर हो रहे इन्द्राज को कलमजद कर उनके स्थान पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे।

वशाव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.04.2022 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
जिला–धौलपुर (राज.)